सं. जे-25/1/2024-सीपीयू
भारत सरकार
उपभोक्ता मामले विभाग
केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण
******

विषय: केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण(मुख्यालय), नई दिल्ली में रिक्त पदों को प्रतिनियुक्ति आधार पर भरने के संबंध में

केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (सीसीपीए) प्रतिनियुक्ति के आधार पर नीचे उल्लिखित विभिन्न पदों को भरने के लिए आवेदन आमंत्रित करता है। पदों का विवरण, साथ ही प्रत्येक श्रेणी के पद के लिए आवश्यक योग्यता के मानदंड, शैक्षणिक अहर्ता/अनुभव आदि संलग्न **अनुलग्नक** में दिए गए हैं।

क्रम सं.	**पद का नाम**	**पदों की संख्या (7वें सीपीसी के अनुसार स्तर)**
1.	संयुक्त निदेशक(विधिक)	1 पद (स्तर-12)
2.	सहायक आयुक्त	2 पद (स्तर -10)
3.	लेखा अधिकारी	1 पद (स्तर -8)
4.	निजी सचिव	1 पद (स्तर -7)
5.	सहायक	3 पद (स्तर -6)
6.	आशुलिपिक श्रेणी-I	2 पद (स्तर -6)
7.	विधिक सहायक	1 पद (स्तर -6)

2. इस नियुक्ति से ठीक पहले केंद्र सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में किसी अन्य 'एक्स-कैडर' पद पर बिताई गई प्रतिनियुक्ति की अवधि (जिसमें अल्पकालिक अनुबंध भी शामिल है) सहित, प्रतिनियुक्ति की अवधि सामान्यतः तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। पद की उपलब्धता और कार्य की आवश्यकताओं के आधार इसे अधिकतम पाँच वर्ष की कुल अवधि तक के लिए दो और वर्षों के लिए बढ़ाया जा सकता है। सीसीपीए को आवेदन प्राप्त होने की अंतिम तिथि के अनुसार, प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक अनुबंध सहित) के आधार पर नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

3. सीसीपीए में आवेदन प्राप्त करने के लिए निर्धारित अंतिम तिथि और समय तक, आवेदकों को (**अनुलग्नक** के अनुसार) निर्धारित पात्रता शर्तों को पूरा करना होगा।

4. मूल वेतन के अलावा, इस पद पर केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए समय-समय पर लागू दरों के अनुसार डीए, एचआरए और परिवहन भत्ता आदि देय हैं। वेतन निर्धारण/प्रतिनियुक्ति (ड्यूटी) भत्ते का नियमन डीओपीएंडटी द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों के अनुसार किया जाएगा।

5. आवेदकों से अनुरोध है कि वे पद (दों) के लिए निर्धारित पात्रता और अनुभव के अनुसार **ऑनलाइन** आवेदन प्रपत्र **(https://jagograhakjago.gov.in/ccpa/)** को सावधानीपूर्वक भरें। किसी अन्य माध्यम/प्रक्रिया से प्राप्त आवेदनों को स्वीकार नहीं किया जाएगा और उन्हें तुरंत अस्वीकार कर दिया जाएगा। अपूर्ण आवेदनों, विशेष रूप से वेतनमान की जानकारी के बिना, को बिना किसी पूर्व सूचना के सीधे तौर पर अस्वीकार कर दिया जाएगा। यह स्पष्ट किया जाता है कि बाद में जॉब प्रोफाइल/अनुभव आदि के संबंध में दिए गए किसी भी स्पष्टीकरण पर कोई विचार नहीं किया जाएगा। **ऑनलाइन आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 21 सितंबर, 2026 (शाम 5:00 बजे) है।**

6. आवेदकों को सलाह दी जाती है कि वे अंतिम तिथि की प्रतीक्षा किए बिना ऑनलाइन भर्ती आवेदन समय से पहले जमा करें और यह भी सुनिश्चित करें कि ऑनलाइन आवेदन प्रपत्र का प्रिंट-आउट आवश्यक दस्तावेजों के साथ उनके मूल विभाग के माध्यम से निर्धारित समय के भीतर भेज दिया जाए।

7. आवेदक के मूल विभाग द्वारा अग्रेषित ऑनलाइन आवेदन का विधिवत भरा हुआ प्रिंट-आउट, निर्धारित 'सत्यापन प्रमाण-पत्र' और सभी आवश्यक दस्तावेजों (जैसे- कैडर क्लीयरेंस, विजिलेंस क्लीयरेंस, सत्यनिष्ठा प्रमाण-पत्र) के साथ-साथ पिछले पाँच वर्षों की अद्यतन एपीएआर की सत्यापित प्रतियों के साथ, **30 सितंबर, 2026 को या उससे पहले** निम्नलिखित पते पर सीसीपी को प्राप्त हो जाना चाहिए:

आयुक्त,
केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण
कमरा नंबर 365, कृषि भवन,
डॉ. राजेंद्र प्रसाद रोड, नई दिल्ली-110001

8. यह स्पष्ट किया जाता है कि नियोक्ता की ओर से किसी भी प्रकार की सशर्त अग्रेषण या बिना आवश्यक दस्तावेजों और नियोक्ता के प्रमाण-पत्र के प्राप्त आवेदनों को तुरंत निरस्त कर दिया जाएगा। निर्धारित तिथि और समय, अर्थात् **21 सितंबर, 2026 (शाम 5:00 बजे)** के बाद प्राप्त आवेदनों को भी स्वीकार नहीं किया जाएगा।

9. राज्य/केंद्र सरकार/पीएसयू/स्वायत्त संस्थाओं में कार्यरत कर्मचारियों को दस्तावेज़ सत्यापन या साक्षात्कार के समय, जहाँ भी लागू हो, अपने नियोक्ता से **'अनापत्ति प्रमाण पत्र'** प्रस्तुत करना अनिवार्य है। अनापत्ति प्रमाण पत्र जमा न करने पर आपकी उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी।

10. प्राधिकरण, आवेदन मिलने में होने वाली किसी भी देरी या डाक से भेजे जाने के दौरान उसके खो जाने के लिए कोई ज़िम्मेदारी नहीं लेती है। अतः आवेदकों को यह सुनिश्चित करना होगा कि उनका ऑनलाइन आवेदन, जो सभी प्रकार से पूर्ण हो, निर्धारित अंतिम तिथि और समय तक उचित माध्यम से सीसीपीए को प्राप्त हो जाए।

11. किसी भी तरह से प्रचार करने पर उम्मीदवार को अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा।

12. पद के लिए गठित चयन समिति के साथ साक्षात्कार के लिए बुलाए जाने पर किसी भी उम्मीदवार को कोई टीए/डीए देय नहीं होगा।

13. प्राधिकरण के पास उपरोक्त किसी भी या सभी रिक्तियों को न भरने का अधिकार सुरक्षित है। सक्षम प्राधिकारी के विवेक पर, बिना कोई कारण बताए विज्ञापन को किसी भी समय वापस लिया जा सकता है।

के. महेन्द्रन

(के. महेन्द्रन)
अवर सचिव
सीसीपीए के प्रतिनिधि के रुप में

अनुलग्नक

प्रतिनियुक्ति के लिए अहर्ताएं

क्रम सं.	पद का नाम एवं स्ट्रीम, वेतनमान/वेतन स्तर	आवश्यक अहर्ता
1.	संयुक्त निदेशक (विधिक) स्तर-12 (रु. 78800-209200)	आवश्यक: अखिल भारतीय सेवाओं या केंद्रीय सिविल सेवा समूह 'क' या भारतीय विधि सेवा या भारतीय कंपनी विधि सेवा या स्वायत्त निकाय या वैधानिक संगठन या नियामक प्राधिकरण या मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयों या शैक्षणिक या मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थानों या न्यायिक संस्थानों के अधिकारी: क. (i) मूल संवर्ग या विभाग में नियमित आधार पर समरूप पद धारण करना; या (ii) और मूल संवर्ग या विभाग में वेतन मैट्रिक्स में लेवल-11 (रु. 67700-208700) या समकक्ष में नियमित आधार पर पद पर नियुक्ति के बाद उस ग्रेड में कम से कम पांच वर्ष की नियमित सेवा के साथ; तथा ख. (i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से विधि में स्नातक की डिग्री; और (ii) विधि के संबंधित क्षेत्र में अनुभव, जिसमें उपभोक्ता कानून भी शामिल है। वांछनीय: उच्च योग्यता और अनुभव को प्राथमिकता दी जाएगी।
2.	सहायक आयुक्त स्तर-10 (रु. 56100-177500).	आवश्यक: केंद्र सरकार या राज्य सरकार या केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन या स्वायत्त निकाय या वैधानिक संगठन या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के अधिकारी - क. (i) मूल संवर्ग या विभाग में नियमित आधार पर समरूप पद धारण करना; या; (ii) मूल कैडर या विभाग में स्तर-9 (रु.53,100-1,67,800) के वेतन मैट्रिक्स या समकक्ष पद पर नियमित रूप से नियुक्त होने के बाद, उस ग्रेड में न्यूनतम दो वर्ष की नियमित सेवा प्रदान की हो; या (iii) मूल संवर्ग या विभाग में वेतन मैट्रिक्स के स्तर-8 (रु. 47600-151100) या समकक्ष में नियमित आधार पर पद पर नियुक्ति के बाद, उस ग्रेड में कम से कम चार वर्ष की नियमित सेवा; तथा ख. किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की डिग्री होना।
3.	लेखा अधिकारी	आवश्यक: केंद्र सरकार या राज्य सरकार या केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन या स्वायत्त निकाय

		या वैधानिक संगठन या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के अधिकारी – a. (i) मूल संवर्ग या विभाग में नियमित आधार पर समकक्ष पद धारण करना; या (ii) मूल संवर्ग या विभाग में वेतन मैट्रिक्स के लेवल-7 (रु. 44900-142400) या समकक्ष में नियमित आधार पर पद पर नियुक्ति के बाद, उस ग्रेड में न्यूनतम दो वर्ष की नियमित सेवा; या (iii) मूल संवर्ग में वेतन मैट्रिक्स के लेवल-6 (रु. 35400-112400) या समकक्ष में नियमित आधार पर पद पर नियुक्ति के बाद, उस ग्रेड में न्यूनतम छह वर्ष की नियमित सेवा; और b. (i) भारतीय चार्टर्ड एकाउंटेंट संस्थान या भारतीय लागत लेखाकार संस्थान का सदस्य या मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन; या (ii) केंद्र सरकार या राज्य सरकार के संगठित लेखा संवर्ग की एसएएस या समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण की हो; या (iii) इंस्टीट्यूट ऑफ सेक्रेटेरिएट ट्रेनिंग एंड मैनेजमेंट द्वारा आयोजित नकद और लेखा प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा किया हो; या (iv) लेखा संबंधी कार्य को संभालने का कम से कम पांच वर्ष का अनुभव हो। वांछनीय: कम्प्यूटरीकृत कार्यालय के वातावरण में काम करने के लिए बुनियादी कौशल
	स्तर -8 (रु. 47600-151100)	
4.	निजी सचिव स्तर -7 (रु. 44900-142400)	आवश्यक: केंद्र सरकार या राज्य सरकार या केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन या स्वायत्त निकाय या वैधानिक संगठन या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के अधिकारी - क. (i) मूल संवर्ग या विभाग में नियमित आधार पर समकक्ष पद धारण करना; या (ii) मूल संवर्ग या विभाग में वेतन मैट्रिक्स के लेवल-6 (रु. 35400-112400) या समकक्ष में नियमित आधार पर पद पर नियुक्ति के बाद, उस ग्रेड में न्यूनतम पांच वर्ष की नियमित सेवा; और ख. निम्नलिखित योग्यताएं होनी चाहिए: i. किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक या समकक्ष; ii. आशुलिपि और टंकण में कौशल; और iii. कंप्यूटर का कार्यसाधक ज्ञान। वांछनीय: उच्च योग्यता और अनुभव को प्राथमिकता दी जाएगी।

5.	सहायक स्तर -6 (रु. 35400-112400)	आवश्यक: केंद्र सरकार या राज्य सरकार या केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन या स्वायत्त निकाय या वैधानिक संगठन या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के अधिकारी - क. (i) मूल संवर्ग या विभाग में नियमित आधार पर समकक्ष पद धारण करना; या (ii) मूल संवर्ग या विभाग में वेतन मैट्रिक्स के लेवल-5 (रु. 29200-92300) या समकक्ष में नियमित आधार पर पद पर नियुक्ति के बाद, उस ग्रेड में न्यूनतम छह वर्ष की नियमित सेवा; या (iii) मूल संवर्ग या विभाग में वेतन मैट्रिक्स के लेवल- 4(रु. 25500-81100) या समकक्ष में नियमित आधार पर पद पर नियुक्ति के बाद, उस ग्रेड में न्यूनतम दस वर्ष की नियमित सेवा; और ख. निम्नलिखित योग्यताएं होनी चाहिए: i. किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक या समकक्ष; ii. टंकण में कौशल; और i. iii. कंप्यूटर का कार्यसाधक ज्ञान।
6.	विधिक सहायक स्तर -6 (रु. 35400-112400)	आवश्यक: केंद्र सरकार या राज्य सरकार या केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन या स्वायत्त निकाय या वैधानिक संगठन या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के अधिकारी - i. (i) मूल संवर्ग या विभाग में नियमित आधार पर समकक्ष पद धारण करना; या (ii) मूल संवर्ग या विभाग में वेतन मैट्रिक्स के लेवल-5 (रु. 29200-92300) या समकक्ष में नियमित आधार पर पद पर नियुक्ति के बाद, उस ग्रेड में न्यूनतम छह वर्ष की नियमित सेवा; और ii. निम्नलिखित योग्यता और अनुभव होना चाहिए :- iii. किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से विधि में स्नातक की डिग्री; और ii. संबंधित क्षेत्र (कानून) में तीन वर्ष का अनुभव, जिसमें उपभोक्ता कानून का अनुभव शामिल हो। वांछनीय:

		i. नियामक प्राधिकरण, वैधानिक निकायों या अन्य सरकारी संस्थानों के साथ काम करने का अनुभव; ii. कंप्यूटर का कार्यसाधक ज्ञान और टंकण कौशल।
7.	आशुलिपिक ग्रेड-I स्तर -6 (रु. 35400-112400)	आवश्यक: केंद्र सरकार या राज्य सरकार या केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन या स्वायत्त निकाय या वैधानिक संगठन या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के अधिकारी - क. (i) मूल संवर्ग या विभाग में नियमित आधार पर समकक्ष पद धारण करना; या (ii) मूल संवर्ग या विभाग में वेतन मैट्रिक्स के लेवल-5 (रु. 29200-92300) या समकक्ष में नियमित आधार पर पद पर नियुक्ति के बाद, उस ग्रेड में न्यूनतम छह वर्ष की नियमित सेवा; (iii) मूल संवर्ग या विभाग में वेतन मैट्रिक्स के लेवल- 4(रु. 25500-81100) या समकक्ष में नियमित आधार पर पद पर नियुक्ति के बाद, उस ग्रेड में न्यूनतम दस वर्ष की नियमित सेवा; और ख. निम्नलिखित योग्यताएं होनी चाहिए: i. किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक; ii. आशुलिपि और टंकण में कौशल; और iii. कंप्यूटर का कार्यसाधक ज्ञान। वांछनीय: उच्च योग्यता और अनुभव को प्राथमिकता दी जाएगी।